

स्वतंत्र प्रभात

 @swatantraprabhatmedia	 @swatantramedia	RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)	 @SwatantraPrabhatonline	 news@swatantraprabhat.com
सीतापुर से प्रकाशित एवं अयोध्या,प्रयागराज ,मिर्जापुर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून			सीतापुर, सोमवार , 16 मार्च 2026	
लखनऊ पूर्वी जोन पुलिस की सघन बैक चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा...03			वर्ष 14,अंक 324, पृष्ठ 04, मूल्य: 01 रुपया	
www.swatantraprabhat.com			रासोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाने के विरोध में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन...04	



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

 @swatantraprabhatmedia	 @swatantramedia	RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com)	 @SwatantraPrabhatonline	 news@swatantraprabhat.com
--	---	---	---	---

एक्साइज पॉलिसी केस: केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका, केस ट्रांसफर की अर्जी खारिज, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ही करेंगी सुनवाई

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी CBI के एक्साइज पॉलिसी केस को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से दूसरी बेंच को ट्रांसफर करने की अर्जी को खारिज कर दिया है. केजरीवाल ने इस केस को किसी दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने की मांग की थी।

चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने कहा है कि CBI की याचिका मौजूदा रोस्टर के हिसाब से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को दी गई है. उन्होंने कहा कि केस से अलग होने की किसी भी रिक्वेस्ट पर संबंधित जज को ही विचार करना होगा. कोर्ट ने कहा कि हालांकि, मुझे एडमिनिसट्रैटिव साइड से ऑर्डर पास करके पिटीशन को ट्रांसफर करने का कोई कारण नहीं दिखता।

केजरीवाल ने ट्रांसफर करने की मांग की थी

दरअसल अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 27 फरवरी को आबकारी नीति मामले में उन्हें बरी किए जाने को चुनौती देने वाली CBI की क्रिमिनल पिटीशन को ट्रांसफर करने की मांग की थी. केजरीवाल इस मामले में रेस्पोंडेंट में से एक हैं। CBI की याचिका पर 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट में

संक्षिप्त ख़बरें

‘नेहरू के दौर में होते कांशीराम तो वो तय करते कौन बनेगा

P M’, राहुल के बयान पर

आकाश आनंद का पलटवार

राजस्थान के भरतपुर में बच्चा के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बीएसपी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला. राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए आकाश आनंद ने कहा कि अगर कांशीराम नेहरू के जमाने में होते तो वो शायद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखते. कांशीराम वो हैं, जिन्होंने पीएम और सीएम बनवाये हैं और खुद कभी पद का लालच नहीं किया. आकाश आनंद ने कहा कि आज राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं, जब हमारे समाज को टटोलने की कोशिश नहीं करते हैं. आज वो कसम खाते हैं कि अगर कांशीराम नेहरू के समय में होते तो उन्हें नेहरू मुख्यमंत्री बनाते. जब मैं उनका ऐसा बयान सुनता हू तो मैं पहले उनसे पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं कि अगर कांशीराम नेहरू के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते।

कांशीराम ने सीएम और पीएम बनाए

आकाश आनंद ने कहा कि लेकिन हकीकत यह है कि कांशीराम वो हैं, जो इस समाज को उठाया, जगाया, बाबा साहेब की सीखों को घर-घर लेकर गए और वो ऐसे नेता थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर कांशीराम नेहरू के समय में होते तो वो नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत जरूर रखते, न कि आपके नेहरू हमारे कांशीराम को मुख्यमंत्री बनाते।

कांशीराम के निधन पर राष्ट्रीय शोक व्यक्त नहीं?

आकाश आनंद ने कांग्रेस से सवाल पूछते हुए कहा कि आपकी कांग्रेस पार्टी पूरी सत्ता में थी और आपकी सरकार थी, लेकिन जब कांशीराम का देहांत हुआ तो क्यों एक दिन भी आपने राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया और आज उनकी पार्टी, उनके लोगों और कांशीराम को सम्मान देने की बात करते हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल हमारे समाज के लोग का शोषण करती आई है. आज जब चुनाव सिर पर हैं, तो हमारे कांशीराम उन्हें याद आ रहे हैं. आज उन्हें हमारी पार्टी याद आ रही है. आज उन्हें अपना सम्मान याद आ रहा है।

सुनवाई हुई थी।

बरी किए गए सभी 23 लोगों को नोटिस

उन्होंने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI की दलीलों सुनने के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत शराब नीति मामले में बरी किए गए सभी 23 लोगों को नोटिस जारी किया था. इसके साथ ही मामले में अगली सुनवाई 23 मार्च तय की थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि शराब नीति मामले में AAP नेताओं केजरीवाल, सिसोदिया और दूसरे सभी आरोपियों को बरी करते समय गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां, चार्ज स्ट्रेज पर, पहली नज़र में गलत हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है. वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा था कि 9 मार्च के ऑर्डर में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों में ख़ास गड़बड़ी के कारणों का खुलासा नहीं किया गया है. संबंधित बेंच ने एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़े कई मामलों पर पहले ही फैसला कर लिया है, जिसमें पहली नज़र में टिप्पणियां दर्ज की गई हैं और आरोपियों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है।

केजरीवाल ने अर्जी में क्या कहा
अर्जी में कहा गया है, कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को राहत दी है. उन्होंने कहा

गैस का विकल्प बने इंडक्शन, सीतापुर में डेढ़ गुणा बढ़ी बिजली की खपत

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। गैस की किर्रलत के बीच इंडक्शन चूल्हे का प्रयोग बढ़ गया है। अधिकांश लोग गैस पर सिर्फ रोटी ही पका रहे हैं। शेष व्यंजनों को फकने में इंडक्शन का उपयोग कर रहे हैं। पिछले चार दिनों में बिजली खपत में डेढ़ गुणा की बढ़ोतरी हो गई है. दर सात को जहां 40 मेगावाट खपत थी। वहीं, अब 55 मेगावाट हो रही है। बढ गई आनंद ने कहा कि अगर कांशीराम नेहरू के जमाने में होते तो वो शायद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने की ताकत रखते. कांशीराम वो हैं, जिन्होंने पीएम और सीएम बनवाये हैं और खुद कभी पद का लालच नहीं किया. आकाश आनंद ने कहा कि आज राहुल गांधी कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं, जब हमारे समाज को टटोलने की कोशिश नहीं करते हैं. आज वो कसम खाते हैं कि अगर कांशीराम नेहरू के समय में होते तो उन्हें नेहरू मुख्यमंत्री बनाते. जब मैं उनका ऐसा बयान सुनता हू तो मैं पहले उनसे पूछना चाहूंगा और बताना भी चाहूंगा कि राहुल गांधी जो आप कह रहे हैं कि अगर कांशीराम नेहरू के समय में होते तो आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते।

एक वर्ष पहले 35 मेगावाट थी मांग

पोरणखंड के 220 केवी बिजली उपकेंद्र

तिहाड़ से छूटा, आसिम मुनीर की गोद में बैठा, पहलगाम में मचाई तबाही, सुधरने की बजाय बना मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- दो दशक पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ लगे दो आतंकवादी अब एक बार फिर सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं. ये दोनों तिहाड़ जेल में सजा काट कर रिहा हुए थे. जांच एजेंसियों के अनुसार, ये दोनों आतंकी अब लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के मोस्ट वांटेड ऑपरेटिव बन चुके हैं और भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. खतरनाक बात यह है कि इनमें से एक लश्कर आतंकवादी पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का नरसंहार करने वाले आतंकी संगठन का सरगना है.

इस कहानी की शुरुआत 9 मई 2002 की एक रात से होती है. उस रात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को खुफिया सूचना मिली थी कि राजधानी में बड़ा आतंकी हमला हो सकता है. खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने हुमायूं के मकबरे इलाके में विशेष निगरानी शुरू कर दी थी. मुंबई से आने वाली पंजाब मेल ट्रेन से उतर रहे यात्रियों की भीड़ के बीच पुलिस ने तीन सदृिग्ध आतंकीयों (सज्जाद, मेहराजुद्दीन और फिरोज) को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी के दौरान इनके पास से लगभग 5 किलो RDX, एक AK-47 राइफल, दो पिस्तौल, चार डेटोनेटर, फ्लास्टिक विस्फोटक सामग्री और नकदी बरामद की गई थी।

दो पाकिस्तानी आतंकवादियों का

कि उनकी दलील किसी निजी पसंद पर आधारित नहीं है, बल्कि सिर्फ एक निष्पक्ष और जानकार लिटिगेंट के मन में एक वाजिब आशंका को परखने के लिए है. इसलिए गंभीर, सच्ची और वाजिब आशंका के आधार पर ट्रांसफर की मांग की है कि मामले की निष्पक्ष और न्यूट्रैलिटी वाली सुनवाई नहीं हो सकती है।

राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला

27 फरवरी को फैसला सुनाते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने पाया था कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आरोप सह-आरोपी या गवाहों के बयानों पर आधारित थे, लेकिन उन्हें किसी भी आपराधिक साजिश से जोड़ने वाला कोई स्वतंत्र सबूत नहीं था. इसके अलावा, ट्रायल कोर्ट ने यह भी देखा कि CBI ने लंबे समय तक सरकारी गवाह के बयानों को बार-बार दोबारा रिकॉर्ड किया, जाहिर तौर पर कमियों को भरने, सरकारी वकील की कहानी को बेहतर बनाने, और आरोपियों को फंसांने, या हालात की चेन में गायब कड़ियों को बनावटी ढंग से जोड़ने के लिए।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कही ये बात

9 मार्च को CBI की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा था कि आरोप लगाने के स्टेज पर ही, गवाहों और अप्रूवर के

गैस का विकल्प बने इंडक्शन, सीतापुर में डेढ़ गुणा बढ़ी बिजली की खपत

पर वर्ष 2025 में 10 से 14 मार्च के मध्य 35 से 38 मेगावाट बिजली की खपत थी। जबकि इस वर्ष 40 से 55 मेगावाट पहुंच गया है। यहां से वितरण खंड के उपकेंद्रों को बिजली आपूर्ति दी जा रही है। यहां पर कुल 143 मेगावाट बिजली आपूर्ति विभाग की क्षमता है।

बिजली लाइन में आने लगी फाल्ट

अचानक बढ़ी मांग से बिजली लाइन में फाल्ट आने लगी है। शुक्रवार को सिटी वन फ्रीड जाने खपत को लेकर विभागीय अधिकारियों के माधे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी हैं। ओवरलोड फीडरों के प्रबंधन को लेकर अधिकारियों ने मॉनटिंग शुरू कर दिया है।

एक वर्ष पहले 35 मेगावाट थी मांग

पोरणखंड के 220 केवी बिजली उपकेंद्र

तिहाड़ से छूटा, आसिम मुनीर की गोद में बैठा, पहलगाम में मचाई तबाही, सुधरने की बजाय बना मोस्ट वॉन्टेड टेररिस्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आतंकियों ने पुलिस को पास में खड़ी एक मारुति कार के बारे में जानकारी दी, जिसमें दो पाकिस्तानी आतंकवादी उनका इंतजार कर रहे थे. इसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी की. उस समय के डीसीपी अशोक चंद, एसीपी राजबीर सिंह और इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की टीम ने मुठभेड़ में दोनों पाकिस्तानी आतंकियों (अबू बिलाल और अबू जाबीउल्लाह) को मार गिराया. इस मामले में गिरफ्तार सज्जाद और उसके सहयोगियों को अदालत ने दोषी ठहराते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया था. लेकिन ठहरिए... यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।

पांच साल बाद...

करीब पांच साल बाद जुलाई 2007 में स्पेशल सेल को फिर सूचना मिली कि एक आतंकी ऑपरेटिव दिल्ली भेजा गया है. इसके बाद पुलिस ने शब्बीर अहमद लोन नामक आतंकी को गिरफ्तार किया. उसके पास से ग्रेनेड, हथियार, गोला-बारूद, 280 अमेरिकी डॉलर और एक लाख रुपये बरामद हुए थे. इसके बाद लगभग एक दशक तक सज्जाद और शहूबीर अहमद लोन तिहाड़ जेल में बंद रहे. दोनों की रिहाई 2018 और 2019 के आसपास हुई. जेल से बाहर आने के बाद इन दोनों की गतिविधियों ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया।

एक पाकिस्तान तो दूसरा गया बांग्लादेश



बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की कही गई कुछ बातें पहली नज़र में गलत लगती हैं और उन पर विचार करने की जरूरत है।

कोर्ट ने यह भी कहा था कि CBIइन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ आरोपी या गवाहों के बयानों पर आधारित जांच करने के लिए अपने ऑफिशियल पद का गलत इस्तेमाल किया, पहली नज़र में पूरी तरह से गलत है, खासकर जब यह आरोप लगाने के स्टेज पर की गई हो. इन बातों को देखते हुए, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी, जिसमें उनके खिलाफ डिपॉजिटेंटल एक्शन की सिफारिश करने का निर्देश भी शामिल था. इस बीच कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई पेंडिंग है, कहा की कि वह केस को हाई कोर्ट के सामने तय तारीख के बाद की तारीख तक टाल दे और CBI की अर्जी के नतीजे का इंतजार करे।

इन लोगों को किया गया था बरी

दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति

मूर्ति बनाना छोड़, मिट्टी के बड़े-बड़े चूल्हे बना रहे मूर्तिकार... दरभंगा में LPG संकट का मिल गया तोड़, कुम्हारों ने निकाला ‘देसी जुगाड़’

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

‘खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का सीधा असर घेरतू एवं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर पड़ है. जिस कारण अब रेस्टोरेंट और होटल बंद होने भी लगे हैं. इस दौरान बिहार के दरभंगा में मूर्ति बनाने वाले कुम्हार होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए मिट्टी के बड़े-बड़े चूल्हे बनाने में लग गए हैं. कुम्हार मूर्ति बनाना छोड़कर मौखिल ऑथेंट वाले बड़े-बड़े ड्रम में मिट्टी के चूल्हे बना रहे हैं, जिसकी कीमत 4000 से लेकर 5000 तक बताई जा रही है, अब रेस्टोरेंट संचालक अपने व्यवसाय को बचाने और होटल चलाने के लिए ऑर्डर देकर ड्रम वाला मिट्टी का चूल्हा बनावा रहे हैं. बता दें कि दरभंगा में रेस्टोरेंट, होटल व्यवसाय

और स्कूलों में मिड-डे-मील के लिए कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरीके से बंद है. काफी होटल संचालकों ने अपने मैनुू में कटौती भी कर ली है. कई संचालकों का कहना है कि जो हमारा परमानेंट स्टॉफ है, उनका तनख्वाह तो देना ही पड़ेगा. इसी के चलते वे लोग एलपीजी सिलेंडर की जगह वैकल्पिक व्यवस्था तलाश रहे हैं।

कुम्हार बना रहे बड़े-बड़े चूल्हे
वैकल्पिक व्यवस्था के लिए मिट्टी के बड़े-बड़े चूल्हे तैयार करवाए जा रहे हैं, जिन्हें कोयला या फिर लकड़ी से जलाया जा सके. इसका ऑर्डर देकर बनवा रहे हैं. रेस्टोरेंट संचालक प्रदीप गुप्ता ने बताया कि कमर्शियल सिलेंडर मिलना पूरी तरीके से बंद हो गया है. होटल चलाना मुश्किल हो गया है. सरकार का कमर्शियल सिलेंडर को

है. इस अटक में 27 पर्यटकों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. 1974 में जन्मे सज्जाद ने कश्मीर में शुरुआती शिक्षा प्राप्त की थी. उसने श्रीनगर से BSc. की पढ़ाई की, इसके बाद केरल में लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया और 1996 में बेंगलुरु में एमबीए की पढ़ाई शुरू की थी. बाद में उसने कश्मीर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोला, लेकिन इसी दौरान वह लश्कर के लिए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो गया।

आसिम मुनीर के गढ़ में सज्जाद का ठिकाना

सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, पहलगाम हमले के बाद सज्जाद इस समय पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा है और उसे दृष्ट् की सुरक्षा भी दी गई है. रावलपिंडी में ही पाकिस्टान आर्मी का मुष्टेयालय भी है, जहां आसिम मुनीर रहते हैं. भारतीय एजेंसियों ने सज्जाद और लोन दोनों को कैटेगरी-A का बेहद खतरनाक आतंकवादी घोषित किया है. दोनों पर भारी-भरकम इनाम घोषित किया गया है और इनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों आतंकीयों की गतिविधियों पर करीबी नजर रखी जा रही है और भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी साजिश को विफल करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां एकसाथ मिलकर लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

फिर बन गया पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड

दूसरी ओर, सज्जाद उर्फ शेख सज्जाद लश्करी की पाकिस्तान पहुंच चुका है और अब उसके के प्रॉक्सी संगठन द रेंजस्टेंस फ्रंट (TRF) का प्रमुख ऑपरेटिव या सरगना माना जा रहा है. इसी संगठन को कई आतंकी हमलों के पीछे जिम्मेदार बताया गया है, जिनमें पहलगाम हमला भी शामिल

लिए एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, जिसे बाद में लागू करने में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था. लेफिटनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिसी की जांच CBI से कराने के आदेश दिए थे।

जांच के दौरान ED और CBI ने दावा किया कि इस एक्साइज पॉलिसी का अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्च्री बाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चमप्रीत सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरथ रेड्डी शामिल हैं।

ट्रायल कोर्ट ने कड़े शब्दों में जांच में कमियों के लिए CBI को फटकार लगाई थी और कहा था कि चार्जशीट में कई कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है. CBI मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में कोई केस बनाने में नाकाम रही. स्पेशल CBI जज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया.आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तकरीबन 530 दिनों तक जेल में रहे. वहीं अरविंद तय तारीख के बाद भी तकरीबन 156 दिन जेल में बिताए।

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार ने 2021 में रेवेन्यू बढ़ाने और शराब के व्यापार में सुधार के

लिए एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, जिसे बाद में लागू करने में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था. लेफिटनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिसी की जांच CBI से कराने के आदेश दिए थे।

जांच के दौरान ED और CBI ने दावा किया कि इस एक्साइज पॉलिसी का अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्च्री बाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चमप्रीत सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरथ रेड्डी शामिल हैं।

ट्रायल कोर्ट ने कड़े शब्दों में जांच में कमियों के लिए CBI को फटकार लगाई थी और कहा था कि चार्जशीट में कई कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है. CBI मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में कोई केस बनाने में नाकाम रही. स्पेशल CBI जज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया.आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तकरीबन 530 दिनों तक जेल में रहे. वहीं अरविंद तय तारीख के बाद भी तकरीबन 156 दिन जेल में बिताए।

क्या है मामला?

दिल्ली सरकार ने 2021 में रेवेन्यू बढ़ाने और शराब के व्यापार में सुधार के

लिए एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, जिसे बाद में लागू करने में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था. लेफिटनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिसी की जांच CBI से कराने के आदेश दिए थे।

जांच के दौरान ED और CBI ने दावा किया कि इस एक्साइज पॉलिसी का अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्च्री बाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चमप्रीत सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरथ रेड्डी शामिल हैं।

ट्रायल कोर्ट ने कड़े शब्दों में जांच में कमियों के लिए CBI को फटकार लगाई थी और कहा था कि चार्जशीट में कई कमियां हैं जिनका किसी गवाह या बयान से कोई सबूत नहीं है. CBI मनीष सिसोदिया के खिलाफ पहली नज़र में कोई केस बनाने में नाकाम रही. स्पेशल CBI जज ने कहा था कि केजरीवाल को बिना किसी ठोस सबूत के फंसाया गया.आबकारी नीति में कथित घोटाले मामले में मनीष सिसोदिया तकरीबन 530 दिनों तक जेल में रहे. वहीं अरविंद तय तारीख के बाद भी तकरीबन 156 दिन जेल में बिताए।

दिल्ली सरकार ने 2021 में रेवेन्यू बढ़ाने और शराब के व्यापार में सुधार के

सिद्धार्थनगर में कार- बाइक की टक्कर में दंपति की मौत, झड़वर फरार

सिद्धार्थनगर- जिले के जोगिया थाना

क्षेत्र में रविवार दोपहर तेज रफ्तार कार और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार दंपती की मौत हो गई। हादसे के बाद कार सड़क किनारे पलट गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। यह हादसा सूया चौराहा के पास रविवार दोपहर में हुई। बाइक सवार दंपती सामने से आ रही तेज रफ्तार कार से टकरा गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल घायलों को संचालकर एम्बुलेंस की मदद से माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज भेजा, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान बांसी थाना क्षेत्र के भावपुर गांव निवासी महेंद्र मिश्रा (50) और उनकी पत्नी सरिता मिश्रा (48)के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दंपती किसी काम से जोगिया कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कटेया बाइक से आ रहे थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। टक्कर के बाद चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिससे कार सड़क किनारे पलट गई। इसके बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही जोगिया कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार व बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है।

उन्होंने पहले एक ड्रम को कटवाकर चूल्हा बनाया तो एक रेस्टोरेंट संचालक उसे 5000 हजार रुपये में खरीदकर ले गया. उसके बाद लगातार लोग ऑर्डर देने आने लगे तो बड़े पैमाने पर चूल्हा का निर्माण करते लगे हैं. उन्होंने बताया की एक बड़े चूल्हे बनाने पर करीब 2500 से 2800 सू रुपये की लागत आ रही है, जो कि 4000 से 5000 हजार के बीच आने से बिकर रहा है. एक दूसरे कुम्हार ने बताया कि प्रतिदिन तीन से चार छोटे-बड़े होटल वाले चूल्हे का ऑर्डर देने आ रहे हैं. जैसे-जैसे लोगों का सिलेंडर होटल वालों से लेकर आम आदमी तक सभी लोग पेशान हो

बड़े चूल्हे बनाने में कितनी आ रही लागत?
उन्होंने पहले एक ड्रम को कटवाकर चूल्हा बनाया तो एक रेस्टोरेंट संचालक उसे 5000 हजार रुपये में खरीदकर ले गया. उसके बाद लगातार लोग ऑर्डर देने आने लगे तो बड़े पैमाने पर चूल्हा का निर्माण करते लगे हैं. उन्होंने बताया की एक बड़े चूल्हे बनाने पर करीब 2500 से 2800 सू रुपये की लागत आ रही है, जो कि 4000 से 5000 हजार के बीच आने से बिकर रहा है. एक दूसरे कुम्हार ने बताया कि प्रतिदिन तीन से चार छोटे-बड़े होटल वाले चूल्हे का ऑर्डर देने आ रहे हैं. जैसे-जैसे लोगों का सिलेंडर होटल वालों से लेकर आम आदमी तक सभी लोग पेशान हो

लिए एक्साइज पॉलिसी बनाई थी, जिसे बाद में लागू करने में गड़बड़ियों के आरोप लगने के बाद वापस ले लिया गया था. लेफिटनेंट-गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने पॉलिसी की जांच CBI से कराने के आदेश दिए थे।

जांच के दौरान ED और CBI ने दावा किया कि इस एक्साइज पॉलिसी का अमनदीप सिंह ढल्ल, अर्जुन पांडे, बुच्च्री बाबू गोरंटला, राजेश जोशी, दामोदर प्रसाद शर्मा, प्रिंस कुमार, अरविंद कुमार सिंह, चमप्रीत सिंह, दुर्गेश पाठक, अमित अरोड़ा, विनोद चौहान, आशीष चंद माथुर और सरथ रेड्डी शामिल हैं।

अमृतसर में हथियार-नशा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, पाक कनेक्शन आया सामने



स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सामने आया है, जो भारत में हथियारों और नशे की तस्करी का नेटवर्क चला रहा था. पुलिस के मुताबिक, शहजाद भट्टी का भारत में एक मजबूत लिंक था और इस नेटवर्क से जुड़ी अन्य खेपों की जांच जारी है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान करण, गुरप्रीत उर्फ गोपी निवासी खेमकरण, मख्खनदीन, राकेश उर्फ केशू, जमकौर सिंह और जसवीर उर्फ वीरा के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि राकेश उर्फ केशू के खिलाफ पहले भी चार आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह नशे एवं हथियारों से जुड़े मामलों में शामिल रहा है।

जांच में जुटी पुलिस

पंजाब में नशा तस्करी एक बड़ी समस्या है. राज्य के कई युवा नशे की चपेट में है, जिसके खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. सीमा पार से नशे की तस्करी की जा रही है. ऐसे में इन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है. पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है इनके साथ और कौन कौन से लोग इस काम में शामिल हैं, इनका नेटवर्क कहा तक फैला है. इसके साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि जब्त की गई हेरोइन किसे भेजी जानी थी।

ट्रंप के दावे और टूटता तिलस्म

‘डोनाल्ड ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीति और उनके आक्रामक व्यापारिक दृष्टिकोण ने वैश्विक भू-राजनीति में भारत और अमेरिका के संबंधों को एक जटिल धरातल पर लाकर खड़ा कर दिया है। हाल के घटनाक्रम और ट्रंप के बयानों से यह आभास होता है कि वे भारत के आर्थिक उभार को एक चुनौती के रूप में देख रहे हैं, विशेषकर जब वे सार्वजनिक रूप से यह कहते हैं कि वे भारत को ‘अगला चीन’ नहीं बनने देंगे। हालांकि, इस दावे और भारत पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति का सूक्ष्म विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि भारत के संदर्भ में अमेरिकी दबाव की सीमाएं बहुत संकीर्ण हैं। ट्रंप का यह सोचना कि ट्रैफिक युद्ध या प्रतिबंधों की धमकी से भारत की विकास यात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, जमीनी हकीकत से परे नजर आता है। भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता नहीं करेगा, चाहे वह व्यापारिक नीतियां हों या रूस जैसे देशों के साथ ऊर्जा संबंध। ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर ट्रैफिक हमलों की श्रृंखला तब शुरू हुई जब अमेरिका ने भारत को ‘टैरिफ किंग’ करार दिया और हाले-डेविडसन जैसी मोटरसाइकिलों पर आयात शुल्क को लेकर कड़ा रुख अपनाया। जवाब में, अमेरिका ने भारत को मिलने वाले ‘जनरलाइड्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस’ (लस्क) के लाभ को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य भारतीय निर्यातकों को चोट पहुंचाना था। लेकिन इसके परिणाम ट्रंप की उम्मीदों के विपरीत रहे। भारत ने न केवल अमेरिकी कृषि उत्पादों और बादाम जैसे आयातों पर जवाबी शुल्क लगाकर अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा की, बल्कि अपने निर्यात बाजारों का विविधीकरण भी

शुरू कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बावजूद, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में निरंतर वृद्धि देखी गई, जो यह दर्शाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर इस कदर निर्भर हैं कि केवल ट्रैफिक के जरिए इन्हें अलग करना या भारत को दबाना संभव नहीं है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत एक अपरिहार्य बाजार और विनिर्माण केंद्र बना हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना खुद अमेरिका के लिए आर्थिक आत्मघात जैसा होगा।

दबाव की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण रूस-यूक्रेन संघर्ष के दौरान देखने को मिला, जब अमेरिका ने भारत पर रूस से कच्चा तेल न खरीदने और प्रतिबंधों का पालन करना शुरू करने को मजबूर नहीं कर सका। भारत ने इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि नई दिल्ली की विदेश नीति अब वाशिंगटन के धरते हुए न केवल रूस से तेल की खरीद जारी रखी, बल्कि उसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए एक रणनीतिक अवसर में बदल दिया। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और ‘प्राइस कैप’ जैसी नीतियों को दरकिनारा करते हुए भारत ने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप फैसले लिए। यह अमेरिकी कूटनीति की एक बड़ी विफलता मानी जा सकती है क्योंकि वह एक प्रमुख लोकतांत्रिक साझेदार को अपनी मर्जी के अनुसार झुकने पर मजबूर नहीं कर सका। भारत के इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया कि नई दिल्ली की विदेश नीति अब वाशिंगटन के निर्देशों पर नहीं, बल्कि अपने 140 करोड़ नागरिकों की जरूरतों और वैश्विक स्थिरता

के अपने दृष्टिकोण पर आधारित है।

भारत की तुलना चीन से करना और उसे ‘अगला चीन’ न बनने देने की बात करना ट्रंप की एक रणनीतिक भूल को दर्शाता है। दशाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर इस कदर निर्भर हैं कि केवल ट्रैफिक के जरिए इन्हें अलग करना या भारत को दबाना संभव नहीं है। अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत एक अपरिहार्य बाजार और विनिर्माण केंद्र बना हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना खुद अमेरिका के लिए आर्थिक आत्मघात जैसा होगा।

दबाव के कार्याकाल के दौरान यह भी देखा गया कि रक्षा सौदों के मामले में भी अमेरिका का दबाव काम नहीं आया। भारत ने रूस के साथ s-400 मिसाइल प्रणाली का सौदा किया, जिस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे। भारत ने इस कड़े रुख को प्रतिकार का कनिष्ठ और अंततः अमेरिका का प्रतिबंधों से पीछे हटना यह साबित करता है कि वाशिंगटन को भारत की सैन्य और सामरिक महता का भली-भांति आभास है। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अमेरिका को भारत की जितनी आवश्यकता है, उतनी भारत को अमेरिका की नहीं। यह शक्ति संतुलन ट्रंप के उन दावों को खोखला कर देता है जिनमें वे भारत को निर्यात्रित

करने की बात करते हैं। भारत की ‘भेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ जैसी पहलों किसी देश के खिलाफ नहीं बल्कि अपनी क्षमता विस्तार के लिए हैं, और ट्रंप के टैरिफ या धमकियां इसे रोकने में अक्षम साबित हुईं हैं।

अंततः, ट्रंप की रणनीति में एक बुनियादी कमी यह है कि वे भारत को केवल एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखते हैं, जबकि भारत एक सभ्यतागत शक्ति और उभरता हुआ वैश्विक घुसा है। भारत की डिजिटल क्रांति, उच्च विशाल युवा कार्यबल और उसकी रणनीतिक स्थिति उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर ले जा रही है। ट्रंप के ‘अमेरिका फर्स्ट’ के मुकाबले भारत का ‘सबका साथ, सबका विकास’ और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का संकल्प अधिक समावेशी और प्रभावी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप द्वारा भारत पर बनाए गए दबाव के हर प्रयास ने भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनने और अपने विकल्पों को तलाशने के लिए प्रेरित किया है। भारत को दबाव में रखकर सफल होने का सपना देखने वाले नेताओं को यह समझना होगा कि 21वीं सदी का भारत अपनी शतों पर दुनिया के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है और किसी भी महाशक्ति का कनिष्ठ भागीदार बनने के बजाय एक समान और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रंप के दावे महज चुनावी बयानबाजी या दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक विश्व व्यवस्था में भारत की गति को रोकना अब किसी भी एक शक्ति के बस की बात नहीं रह गई है।

महेन्द्र तिवारी

सीईसी पर महाभियोग का नोटिस: बहुमत से नहीं, ‘नैरेटिव की राजनीति’ से लड़ाई

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लोकतांत्रिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ऐसे में जब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया जाता है, तो वह केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि उसके राजनीतिक मापने भी गहरे हो जाते हैं। हाल ही में विपक्षी दलों ने मुख्य चुनाव आयुक्त जॉनस कुमर को पर पेशे हटाने के लिए संसद के दोनों सदनो में नोटिस दिया है। इस नोटिस पर लोकसभा के 130 और राज्यसभा के 63 सांसदों के हस्ताक्षर हैं, यानी कुल 193 सांसदों ने इसे समर्थन दिया है। यह संख्या नोटिस देने के लिए ज़रूरी न्यूनतम संख्या से अधिक है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसके बावजूद इस प्रस्ताव का संसद में पारित होना लगभग असंभव है।

यही कारण है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। विपक्षी दलों का यह कदम ऐसे समय आया है जब देश में जल्द ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। चुनाव से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इस तरह का कदम उठाना यह संकेत देता है कि विपक्ष चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर एक राजनीतिक नैटिव तैयार करना चाहता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(5) में तय की गई है। इसके अनुसार उन्हें हटाने के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए अपनाई जाती है। इसका अर्थ है कि संसद के दोनों सदनो में विश्व

बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। विपक्ष बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उचिततथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत का समर्थन। वर्तमान राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए विपक्ष के पास इतनी संख्या नहीं है कि यह इस प्रस्ताव को पारित करा सके।

यही कारण है कि कई राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि यह प्रस्ताव वास्तव में सत्ता परिवर्तन की कोशिश से अधिक राजनीतिक संदेश देने की रणनीति का हिस्सा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग की कुछ प्रक्रियाएं, खासकर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े नियत, बड़े पैमाने पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर सकते हैं और इससे सत्तारूढ़ दल को लाभ मिल सकता है। इसी आधार पर विपक्ष ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए महाभियोग का रास्ता चुना है।

हालांकि यह भी सच है कि इस तरह का प्रस्ताव भारतीय इतिहास में पहली बार सामने आया है। इससे पहले किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद में इस स्तर का औपचारिक प्रयास नहीं हुआ था। इसलिए यह कदम अपने आम में एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी है। विपक्ष यह संदेश देना चाहता है कि वह चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर है और यदि उसे लगता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता प्रभावित हो रही है तो वह उसे संसद में चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इस कदम का सीधा फायदा विपक्ष को तुरंत मिलना मुश्किल नहीं है। संसद में बहुमत के अभाव के कारण यह

प्रस्ताव संभवतः आगे नहीं बढ़ पाएगा। लोकसभा में अंतिम निर्णय स्पीकर ओम बिरला के पास है, जबकि राज्यसभा में यह अधिकार सभापति के पास होता है। यदि वे नोटिस स्वीकार भी कर लेते हैं तो आग्ला चरण जांच समिति का होगा। समिति की रिपोर्ट और उसके बाद संसद में मतदान की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि उसका परिणाम निकट भविष्य में निकलना मुश्किल है।

इसके बावजूद विपक्ष के लिए यह कदम पूरी तरह बेकार भी नहीं है। राजनीति में कई बार किसी मुद्दे को उठाने का उद्देश्य तत्काल परिणाम प्राप्त करना नहीं बल्कि सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करना होता है। विपक्ष शायद यही सोचता है कि चुनाव से पहले चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बहस छिड़े और मतदाताओं के बीच यह संदेश जाए कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

विशेष रूप से उन राज्यों में जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन सकता है। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसे राज्यों में विपक्ष यह तर्क दे सकता है कि चुनाव आयोग की कुछ नीतियां मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इससे विपक्ष को अपने समर्थकों को संगठित करने और राजनीतिक माहौल बनाने का अवसर मिल सकता है।

इसके अलावा यह कदम विपक्षी एकता की भी प्रतीक बन सकता है। इस नोटिस पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और आम आदमी पार्टी सहित कई दलों के सांसदों के

हस्ताक्षर हैं। यह दर्शाता है कि विपक्ष विचारधाराओं के दल एक साझा मुद्दे पर एक हो जाती है। भारतीय राजनीति में जहां विपक्ष अक्सर बिखरा हुआ दिखाई देता है, वहां भी कर लेते हैं तो आग्ला चरण जांच समिति का होगा। समिति की रिपोर्ट और उसके बाद संसद में मतदान की प्रक्रिया इतनी जटिल और लंबी है कि उसका परिणाम निकट भविष्य में निकलना मुश्किल है।

फिर भी यह सवाल बना रहेगा कि क्या केवल नैरेटिव बनाने से चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय मतदाता अक्सर स्थानीय मुद्दों, नेतृत्व और सरकार के कामकाज को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग को लेकर उठया गया विवाद सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित कर दे।

लेकिन राजनीति केवल परिणामों की गणना नहीं होती, बल्कि धारणा की भी होती है। विपक्ष शायद यही समझता है कि यदि वह चुनाव से पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता का मुद्दा लगाता उठता है, तो वह कम से कम राजनीतिक बहस को दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि संख्या बल की कमी के बावजूद इस तरह का संवैधानिक कदम उठया गया है।

अंततः यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राजनीतिक दल कितने संवेदनशील हैं और वे उन्हें लेकर संसद में किस हद तक जाने को तैयार हैं। चाहे यह प्रस्ताव आगे बढे या नहीं, लेकिन इसने एक बड़ी बहस जरूर शुरू कर दी है कि चुनावी संस्थाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों की अपेक्षाएं क्या हैं और लोकतंत्र में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

पेट्रोलियम संकट में उपभोक्ता, अधिकारों की वास्तविकता

प्रतिवर्ष 15 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है, परंतु विडंबना यह है कि आज जब दुनिया इस दिवस को मना रही है, उसी समय वैश्विक राजनीति और युद्धों की आग में उपभोक्ता सबसे अधिक झुलस रहा है। मध्य-पूर्व में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के टकराव के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति और कीमतों पर वैश्विक दबाव बढ़ गया है। परिणाम यह हुआ कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में स्थिरता ने पूरे विश्व के उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है।

जब जब पेट्रोलियम महंगा होता है तो उसका असर केवल वाहन चलाने तक सीमित नहीं रहता बल्कि परिवहन, खाद्यान्न, बिजली, उद्योग और दैनिक उपयोग की वस्तुओं तक फैल जाता है, जिससे आम आदमी की जेब पर सीधा बोझ पड़ता है। ऐसे समय में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि उपभोक्ता अधिकारों की जो व्यवस्था बनाई गई है वह वास्तव में आम नागरिकों को कितनी राहत दे पा रही है। भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में व्यापक रूप से लागू किया गया था उसके बाद अनेक संशोधन किए गए, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू

है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। इनमें सुरक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, न्याय प्राप्त करने का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार प्रमुख हैं। इसके अलावा इस कानून में भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण, ई-कॉमर्स कंपनियों के जवाबदेही और अंततःलाइन शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था भी जोड़ी गई है।

उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए भारत में त्रै स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शामिल हैं। देश में लगभग 685 जिला उपभोक्ता आयोग और लगभग 35 राज्य आयोग कार्यरत हैं, जबकि राष्ट्रीय आयोग सुनच्च स्तर पर अपील और बड़े मामलों की सुनवाई करता है। जिला आयोग में एक करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई होती है, राज्य आयोग एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के मामलों पर निर्णय देता है और दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। सरकार के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ता मामलों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2022 से 2025 के बीच लगभग 5.99 लाख मामले उपभोक्ता आयोगों में दर्ज हुए और लगभग 5.91 लाख मामलों

का निपटारा किया गया, जबकि लाखों मामले अब भी लंबित हैं। वर्ष 2024 में लगभग 1.73 लाख नए मामले दर्ज हुए और लगभग 1.58 लाख मामलों का समाधान हुआ। जनवरी 2024 तक देशभर में लगभग 5.43 लाख मामले लंबित थे। कुछ राज्यों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जैसे गुजरात में 2024 के दौरान राज्य को संभालने में 2214 मामलों और जिला आयोगों में 15820 मामलों का निपटारा किया गया। यह आँकड़े यह दर्शाते हैं कि उपभोक्ता विवादों के समाधान के लिए भारत में त्रै स्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। जिसमें जिला उपभोक्ता आयोग, राज्य उपभोक्ता आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग शामिल हैं। देश में लगभग 685 जिला उपभोक्ता आयोग और लगभग 35 राज्य आयोग कार्यरत हैं, जबकि राष्ट्रीय आयोग सुनच्च स्तर पर अपील और बड़े मामलों की सुनवाई करता है। जिला आयोग में एक करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई होती है, राज्य आयोग एक करोड़ से दस करोड़ रुपये तक के मामलों पर निर्णय देता है और दस करोड़ रुपये से अधिक के मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय आयोग करता है। सरकार के उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में उपभोक्ताओं को जागरूक करना नितांत आवश्यक है। बहुत से लोग छेटी-छेटी ठगी या सेवा में कमी को निर्यात मानकर सह लेते हैं और शिकायत दर्ज नहीं कराते। यही कारण है कि बाजार में कई बार कंपनियों

और सेवा प्रदाता उपभोक्ता हितों की अनदेखी कर देते हैं। पेट्रोलियम संकट के वर्तमान दौर में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि ईंधन की कीमतों का प्रभाव हर वस्तु और सेवा पर पड़ता है। ऐसे में सरकार, उपभोक्ता संगठनों और न्यायिक संस्थाओं की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वे मूल्य पारदर्शिता, कर संरचना और आपूर्ति व्यवस्था को संतुलित रखें ताकि आम नागरिक पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन भर नहीं होना चाहिए बल्कि यह आत्ममंथन का अवसर भी होना चाहिए कि क्या उपभोक्ता वास्तव में बाजार का राजा बन पाया है या अभी भी वह व्यवस्था की जटिलताओं में उलझा हुआ है। जब तक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगा और शिकायत दर्ज करने का साहस नहीं करेगा, तब तक कानून की शक्ति पूरी तरह प्रभावी नहीं हो सकेगी। आदेशों के पालन में देरी जैसे कारण जिम्मेदार हैं। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि आम उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति अभि मूर्ख परी तरह जागरूक नहीं है। ग्रामीण स्तर पर उपभोक्ताओं को जागरूक करना नितांत आवश्यक है। बहुत से लोग छेटी-छेटी ठगी या सेवा में कमी को निर्यात मानकर सह लेते हैं और शिकायत दर्ज नहीं कराते। यही कारण है कि बाजार में कई बार कंपनियों

संजीव ठाकुर

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ल विजय लक्ष्मी नगर पराना खैरबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:-**उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सर विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। **R.N.I.NO. UPPHN/2012/43078 मो0 70 -95 1115 1254**,E-Mail :- **news@swatantraprabhat.com**

संपादकीय, स्वतंत्र विचार

संपादकीय

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : जागरूक उपभोक्ता ही सुरक्षित समाज की आधारशिला

हर वर्ष 15 मार्च को विश्व भर में विश्व

उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। यह दिन उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है। आधुनिक उपभोक्तावादी युग में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है, क्योंकि वह प्रतिदिन विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने, उन्हें समझे और आवश्यकता पड़ने पर 'सबका साथ, सबका विकास' और वैश्विक दक्षिण का नेतृत्व करने का संकल्प अधिक समावेशी और प्रभावी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ट्रंप द्वारा भारत पर बनाए गए दबाव के हर प्रयास ने भारत को अधिक आत्मनिर्भर बनने और अपने विकल्पों को तलाशने के लिए प्रेरित किया है। भारत को दबाव में रखकर सफल होने का सपना देखने वाले नेताओं को यह समझना होगा कि 21वीं सदी का भारत अपनी शतों पर दुनिया के साथ जुड़ने की क्षमता रखता है और किसी भी महाशक्ति का कनिष्ठ भागीदार बनने के बजाय एक समान और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ट्रंप के दावे महज चुनावी बयानबाजी या दबाव की राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक विश्व व्यवस्था में भारत की गति को रोकना अब किसी भी एक शक्ति के बस की बात नहीं रह गई है।

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का इतिहास 15 मार्च 1962 से जुड़ा हुआ है, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ. केनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए उपभोक्ता अधिकारों को औपचारिक रूप से मान्यता दी थी। उन्होंने पहली बार यह स्पष्ट किया कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा, सूचना, चयन और सुने जाने का अधिकार मिलना चाहिए। यह विचार आगे चलकर एक वैश्विक आंदोलन का आधार बना और 1983 से 15 मार्च को विश्व स्तर पर उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी उपभोक्ता संरक्षण के लिए दिशानिर्देश जारी कर इस आंदोलन को वैश्विक पहचान प्रदान की।

आज के समय में बाजार तेजी से बदल रहा है। नई तकनीकों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण उपभोक्ताओं के सामने कई नए अवसर आए हैं, लेकिन साथ ही कई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। कई बार कंपनियों या अकार्षक विज्ञापनों के माध्यम से उत्पादों के बारे में गलत या अधूरी जानकारी देती हैं। कुछ मामलों में उत्पादों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं होती या कीमत वास्तविक नैरेटिव बनाने से चुनावी परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। भारतीय मतदाता अक्सर स्थानीय मुद्दों, नेतृत्व और सरकार के कामकाज को अधिक महत्व देते हैं। इसलिए यह जरूरी नहीं है कि चुनाव आयोग को लेकर उठया गया विवाद सीधे चुनावी परिणामों को प्रभावित कर दे। लेकिन राजनीति केवल परिणामों की गणना नहीं होती, बल्कि धारणा की भी होती है। विपक्ष शायद यही समझता है कि यदि वह चुनाव से पहले लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता का मुद्दा लगाता उठता है, तो वह कम से कम राजनीतिक बहस को दिशा बदल सकता है। यही कारण है कि संख्या बल की कमी के बावजूद इस तरह का संवैधानिक कदम उठया गया है।

अंततः यह घटनाक्रम भारतीय लोकतंत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण भी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि संवैधानिक संस्थाओं को लेकर राजनीतिक दल कितने संवेदनशील हैं और वे उन्हें लेकर संसद में किस हद तक जाने को तैयार हैं। चाहे यह प्रस्ताव आगे बढे या नहीं, लेकिन इसने एक बड़ी बहस जरूर शुरू कर दी है कि चुनावी संस्थाओं की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर राजनीतिक दलों की अपेक्षाएं क्या हैं और लोकतंत्र में उनकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है।

नचिकेता के अनुपम आदर्श से अनभिज्ञ होती आधुनिक पीढ़ी

आज का युग तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का युग है। मोबाइल और इंटरनेट से घिरी आधुनिक पीढ़ी किसी भी प्रश्न का उत्तर कुछ ही क्षणों में गूगल तक खोज सकती है। यदि आज के बच्चों या युवाओं से पूछा जाए कि नचिकेता कौन थे, तो वे संभवतः तुरंत इंटरनेट पर खोज कर उत्तर बता देंगे। लेकिन यदि यही प्रश्न बिना गूगल या एआई की सहायता के पूछा जाए, तो शायद अधिकांश लोग निरुत्तर रह जाएंगे। यह स्थिति हमारी शिक्षा व्यवस्था और सांस्कृतिक स्मृति पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। भारतीय वैदिक साहित्य में कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता और यमराज के संवाद की कथा अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।

यमराज के द्वार पर वह तनू दिन अधिकांश लोगों को देता हैं।' पिता के इस पृच्छे पर आवेश में आकर पिता के मुख से निकल गया— 'मैं तुझे यमराज को देता हूँ।' पिता के इस वचन को सत्य सिद्ध करने के लिए यमराज ने उसे तीन वरदान माँगे न के रूप में आदेश दिया— मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है ? नचिकेता ने उसको परीक्षा लेने के लिए उसे अपार धन, ऐश्वर्य, सुख-सुविधाएँ और स्वीर्गिक भोग देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन नचिकेता ने इन सबको अस्वीकार कर दिया। उसने स्पष्ट कहा कि संसार के सभी भोग क्षणभंगुर हैं और मनुष्य कभी गायों का दान करने लगे, तो वह नचिकेता ने विनम्रतापूर्वक उन्हें नचिकेता की इस अद्भुत वैराग्य समझाया कि ऐसा दान, जो किसी के काम न आए, धर्मसम्मत नहीं है । नचिकेता ने अपने पिता से कहा कि यदि दान ही देना है तो मुझे ही दान कर दीजिए, ताकि मैं किसी के

सीमित नहीं है, बल्कि यह जिम्मेदार उपभोक्ता बनने का भी संदेश देता है। उपभोक्ताओं को यह समझना चाहिए कि वे केवल खरीदारी करने वाले व्यक्ति ही नहीं हैं, बल्कि बाजार की दिशा तय करने वाली एक महत्वपूर्ण शक्ति भी हैं। यदि उपभोक्ता जागरूक होकर गुणवत्ता वाले और सुरक्षित उत्पादों को प्राथमिकता देंगे तो कंपनियों को भी अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी प्रकार पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए टिकाऊ और ऊर्जा-सक्षम उत्पादों का उपयोग करना भी आज के समय की आवश्यकता बन गया है।

वर्ष 2026 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय 'सुरक्षित उत्पाद, आश्वस्त उपभोक्ता' रखा गया है। यह विश्व इस बात पर जोर देता है कि बाजार में उपलब्ध हर उत्पाद सुरक्षित, विश्वसनीय और मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसमें व्यवसायों, नियामक संस्थाओं और उपभोक्ताओं तीनों की साझा जिम्मेदारी होती है। कंपनियों को ईमानदारी से उत्पाद तैयार करने चाहिए, सरकार को प्रभावी नियम और निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए, और उपभोक्ताओं को जागरूक होकर सही निर्णय लेना चाहिए।

वास्तव में जागरूक उपभोक्ता ही स्वस्थ और सुरक्षित बाजार व्यवस्था की नींव होते हैं। जब उपभोक्ता अपने अधिकारों को समझते हैं और उनका उपयोग करते हैं, तब बाजार में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। इससे न केवल उपभोक्ताओं को लाभ होता है बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। इसलिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह जागरूकता, जिम्मेदारी और न्यायपूर्ण व्यापार व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंततः यह कहा जा सकता है कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना केवल सरकार या संस्थाओं की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का भी कर्तव्य है। यदि हम जागरूक होकर सही जानकारी के साथ खरीदारी करें, उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करें और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाएं, तो हम एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण उपभोक्ता समाज का निर्माण कर सकते हैं। यही इस दिवस का मूल संदेश है कि जागरूक उपभोक्ता ही सशक्त समाज की पहचान है।

कांतिलाल मांडोट

कठोपनिषद का अमूल्य संदेश बना।

नचिकेता के महान जीवन चरित्र आदर्श की तुलना आज के आधुनिक समाज से करें तो स्थिति बहुत चिंताजनक दिखाई देती है। आज की पीढ़ी भौतिक सुखों और विलासिता की दीड़ में अपने पारिवारिक संस्कारों, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों से दूर होती जा रही है। आज हर वर्ग हर समाज की आधुनिक होती पीढ़ी विलासिता में डूबकर अपने घर, परिवार, समाज की मान-मर्यादा, रीति-नीति और संस्कारों से न केवल दूर हो रही है बल्कि अपने वैदिक धार्मिक ग्रंथों में छिपे असीम रहस्यों, इतिहास और आदर्श चरित्रों से भी वह अनभिज्ञ हो चुकी है ! बढ़ती आपराधिक प्रवृत्तियाँ, नशे की लत और कम उम्र में भटकाव समाज के सामने गंभीर चुनौती बनकर उभर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नचिकेता जैसे आदर्श चरित्रों की शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे बच्चों को बचपन से ही भारतीय ग्रंथों में वर्णित उच्च आदर्शों से परिचित कराया जाए, तो वे केवल तकनीकी रूप से ही नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बन सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि मोबाइल और नचिकेता का जीवन संदेश देता है कि सत्य, ज्ञान और आत्मबोध की खोज ही मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यदि हम वास्तव में संस्कारित और सशक्त समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें नचिकेता जैसे आदर्श चरित्रों को आधुनिक पीढ़ी के जीवन में पुनः स्थापित करना

अरविंद रावल

संक्षिप्त खबरें

जनपद में गैस एजेंसियों में सिलेंडर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध:- एडीएम

रायबरेली:- जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ व अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने शहर में स्थित विभिन्न गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण कर उपलब्ध स्टॉक, वितरण व उपभोक्ताओं द्वारा की गई बुकिंग इत्यादि की अभिलेखों की जांच की गई। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में समस्त गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है, उपभोक्ताओं को उनके द्वारा की गई बुकिंग के अनुसार गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद में कहीं पर भी गैस सिलेंडर की कोई समस्या नहीं है। इसी क्रम में जनपद की समस्त तहसील क्षेत्र में उप जिलाधिकारियों द्वारा गैस एजेंसियों का निरीक्षण किया गया एवं उपलब्ध स्टॉक व व्यवस्थाओं को परखा गया, जिससे कहीं पर भी उपभोक्ताओं को कोई समस्या उत्पन्न न हो।

संघ कार्यालय में होली मिलन समारोह में फाग गीतों पर झूमे लोग



लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के घोसियाना मोहल्ला स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लोगों ने एक दूसरे को अर्बोर-गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर शिवम सोनी की अगुवाई में सराय बेरिहाखेड़ से आई फाग मंडली ने होल नगाड़ों की थाप पर पारंपरिक होली गीत प्रस्तुत किए। फाग गीतों पर मौजूद लोग झूम उठे और माहौल पूरी तरह से होली के रंग में रंग गया। कार्यक्रम के दौरान संघ कार्यकर्ताओं की ओर से फाग मंडली के कलाकारों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन विमल गुप्ता ने किया। इस मौके पर जिला प्रचारक अजीत, अनंत बाजपेई, शीतला अग्रहरि, इंद्रेश सिंह, राजेश सोनी, सचिव, अनिल शर्मा, अविनाश, अचिन रस्तोगी, देशराज, शिव कुमार, गंगा, पवन सिंह, राहुल, अमन, रजनु, रोहित और पवन द्विवेदी सहित कई लोग मौजूद रहे।

नोटिस

व अदालत श्रीमान वन्देवस्त अधिकारी चकबन्दी महोदय मुकाम पीलीभीत
अपील सं0-202654125600000016
ई0
सच्चिदानन्द अपीलान्त
बनाम अपीलांत
दीपांशी शर्मा आदि

बनाम रेष्योडेन्ट
1. दीपांशी शर्मा पुत्री प्रदीप कुमार शर्मा निवासी ए-2 बी.सी.पी.एच. मुनब्वर बाग कालोनी लखनऊ 2. कनिष्का पाण्डेय पुत्री अनूप कुमार नि0म00 रिक्वावंग फैजाबाद 3. कृतिका पाण्डेय पुत्री अनूप कुमार नि0म00 रिक्वावंग फैजाबाद।
वाजे हो कि आपके खिलाफ नालिश्त दफा 11 (1) सी.एच.एक्ट दायर की है अतः आप व तारीख 2.5 माह 3 सन् 2026 वकवत 10 बजे दिन अमालतन या अन्य कोई शख्स जो वाकिफा हाल मुकदमा हो उक्त तारीख पर अपनी जवाबदेही पेश करे यह लाजिम है कि उसी रोज अपने जुमला गवाहों की व नीचे आपकी गैर हाजिरी में आपके मसमूअ फैसला होगा चाहते हो पेश करे अगर वरोग समबूर आप हाजिर न होंगे तो उसका मजबूत दस्तावेजात जिसकी शहादत पर आप व तार्ईद अपना जवाबदेही इस्तदवाल करना तारीख 11 माह 3 सन् 2026 भेरे दस्तखत व मोहर अदालत से जारी किया।

Notice

Ashish Kumar Srivastava S/o Sri Dashrath Prasad Srivastava, resident of Village Mahdev, Walter Ganj Dist. Basti 272182, do hereby solemnly affirm and declare as under, that my name has been wrongly written as Ashish Srivastava in the Admission Form submitted to St. Thomson Mission School Sector .H , Janki Puram Lucknow. My correct name Shivanya Srivastava S/O Ashish Kumar Srivastava & Mother name Aprajita Srivastav. In future I will be known as Satyam Srivastava S/O Ashish Kumar Srivastava & Mother name Aprajita Srivastav.

लखनऊ पूर्वी जोन पुलिस की सघन बैंक चैकिंग, सुरक्षा व्यवस्था का लिया गया जायजा

स्वतंत्र प्रभात

विकास नगर-लखनऊ। शहर में अपराध और अपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से पूर्वी जोन पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सघन बैंक चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान डीसीपी ईस्ट शशांक सिंह के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत बैंक शाखाओं की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और संभावित अपराधिक घटनाओं की रोकथाम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों जितेंद्र सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी और थाना प्रभारियों की टीमों ने अपने-अपने क्षेत्र में स्थित बैंकों का निरीक्षण किया। इस दौरान बैंक परिसर, एटीएम कक्ष, पार्किंग स्थल और आसपास के क्षेत्रों की गहन जांच की गई। पुलिस ने बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा गार्डों से बातचीत कर सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

पुलिस अधिकारियों ने बैंक प्रबंधन को

पहल फाउंडेशन के तत्वावधान में मुन्नन शुक्ला का सम्मान समारोह

● अध्यक्ष गंगाराम राजपूत व अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव की गरिमामयी उपस्थिति में मुन्नन शुक्ला का सम्मान

स्वतंत्र प्रभात

सिधौली (सीतापुर), 12 मार्च 2026 आदर्श नगर पंचायत सिधौली के नरोत्तम नगर उत्तरी वार्ड से लगातार चौथी बार सभासद निर्वाचित होकर जनसेवा की मिसाल कायम करने वाले मुन्नन शुक्ला को बार एसोसिएशन सिधौली का निर्वाचक उपाध्यक्ष चुने जाने के उपलक्ष्य में गुरुवार को हरियाली मैरिज हॉल, सिधौली में एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पहल फाउंडेशन के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ, जिसमें क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों एवं गणमान्य नागरिकों ने उन्हें सम्मानित करते

सोने के आभूषण चोरी के मामले में 19 वर्षीय युवक गिरफ्तार

● 4 सोने के कंगन बरामद

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ, पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ के गाजीपुर थाने की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से घर से सोने के आभूषण चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपनी सह-आरोपी (जो फरार है) की मदद से शिकायतकर्ता के घर से 04 सोने के कंगन, 02 सोने की झूमकियाँ और 01 सोने का मंगलसूत्र चुराया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 04 सोने के कंगन बरामद कर लिए हैं, जबकि फरार महिला आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ के के अनुसार, गाजीपुर थाना पुलिस टीम ने 11 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर हर्षित यादव (पुत्र वीरेंद्र यादव, मूल निवासी ग्राम सतई पुर्वा रानी बाजार, जनपद गोण्डा) को गिरफ्तार किया। हर्षित (उम्र करीब 19 वर्ष) वर्तमान में लखनऊ के सेक्टर-ई, थाना महानगर स्थित डी-27 किफायत मकान में रहता था। उसके कब्जे से 04

भक्ति के रंग में रंगा निगोहां: श्रीमद भागवत कथा में उमड़ा जनसैलाब, राम-कृष्ण की लीलाओं ने मोह लिया मन

●आचार्य दुर्गेश अवस्थी ने प्रमु राम के आदर्शों और श्रीकृष्ण के प्राकट्य का किया जीवंत वर्णन, ध्रुव चरित्र की कथा सुनकर भावुक हुए श्रद्धालु।

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। राजधानी के निगोहां क्षेत्र में आयोजित श्रीमद भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर आस्था का अभूतपूर्व संगम देखने को मिला। जैसे-जैसे कथा आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और उस्ताह भी परवान चढ़ रहा है। गुरुवार को कथा स्थल पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया, जिससे पूरा पंडाल छोटा नजर आने लगा। 'जय श्री राम' और 'नंद के आनंद भयो' के जकारों के साथ समूचा वातावरण भक्तिमय और दिव्य हो गया।

मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन और आदर्श.....

कथा के मुख्य वक्ता आचार्य दुर्गेश अवस्थी ने अपनी ओजस्वी और मधुर वाणी से भगवान श्रीराम के जन्म का प्रसंग सुनाया। उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे अयोध्या में प्रभु के आगमन से खुशियां छा गईं। आचार्य ने महर्षि वशिष्ठ द्वारा राम जी



निर्देश दिया कि बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह सक्रिय रहें और उनकी रिकॉर्डिंग नियमित रूप से सुरक्षित रखी जाए। साथ ही सदिध व्यक्तिों पर नजर रखने और किसी भी सदिध गतिविधि की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को देने के लिए कहा गया।

चैकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने बैंक परिसरों में मौजूद लोगों की गतिविधियों पर भी नजर रखी और सदिध व्यक्तिों से पूछताछ की।

इसके अलावा एटीएम बूथों की सुरक्षा, अलार्म सिस्टम और गार्डों की तैनाती का भी निरीक्षण किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शहर में कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और बैंक से जुड़ी किसी भी अपराधिक घटना को रोकने के

हुए शुभकामनाएं प्रदान कीं और उनके उज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के मुख्य अतिथि आदर्श नगर पंचायत सिधौली के अध्यक्ष गंगाराम राजपूत रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव उपस्थित रहें। कार्यक्रम का आयोजन समाजसेवी एवं शिक्षाविद् डॉ. चंद्रशेखर प्रजापति द्वारा किया गया।

मुख्य अतिथि गंगाराम राजपूत ने अपने संबोधन में कहा कि मुन्नन शुक्ला ने जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाई है। लगातार चार बार सभासद चुना जाना उनके प्रति जनता के विश्वास और लोकप्रियता का प्रमाण है। वहीं, बार एसोसिएशन सिधौली के निर्विरोध उपाध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक स्वीकार्यता को दर्शाता है। विशिष्ट अतिथि रेणुका यादव ने भी मुन्नन शुक्ला को बधाई देते हुए कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि समाज और प्रशासन

सोने के कंगन बरामद हुए हैं।

शिकायतकर्ता श्याम चन्द्र अवस्थी (पुत्र गणेश प्रसाद मानस विहार, सर्वोदय नगर, लखनऊ) ने 10 मार्च को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 9 जनवरी को उनके घर से 04 सोने के कंगन, 02 सोने की झूमकियाँ और 01 सोने का मंगलसूत्र चोरी हो गया था। चोरी का सामान चोर ने अपने दोस्त हर्षित यादव को दिया था, जो कई दिनों से सामान वापस करने से टाल रहा था। शिकायत पर थाना गाजीपुर में मुकदमा बीएनएस के तहत दर्ज किया गया। बाद में धारा 61(2)/317(2) बीएनएस भी जोड़ दी गई। गिरफ्तार आरोपी हर्षित यादव ने पूछताछ में खुलासा किया कि करीब दो महीने पहले उसकी जानकारी सृष्टि दुबे के अनुरूप, गाजीपुर थाना पुलिस टीम से 11 मार्च को गुप्त सूचना के आधार पर हर्षित यादव (पुत्र वीरेंद्र यादव, मूल निवासी ग्राम सतई पुर्वा रानी बाजार, जनपद गोण्डा) को गिरफ्तार किया। हर्षित (उम्र करीब 19 वर्ष) वर्तमान में लखनऊ के सेक्टर-ई, थाना महानगर स्थित डी-27 किफायत मकान में रहता था। उसके कब्जे से 04



को दी गई शिक्षाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीति, धर्म, सत्य और मर्यादा का जो पाठ प्रभु ने अपने जीवन से पढ़ाया, वह आज के समय में भी प्रासंगिक है। जब सीता-राम विवाह का प्रसंग सुनाया गया, तो श्रद्धालु भावविभोर होकर झूम उठे।

श्रीकृष्ण जन्म और असुरराज कंस का अहंकार.....

कथा के अगले चरण में भगवान श्रीकृष्ण के प्राकट्य की कथा सुनाई गई। आचार्य ने कारागार में देवकी-वासुदेव के संघर्ष और कंस के अत्याचारों का वर्णन करते हुए बताया कि जब अधर्म बढ़ता है, तब ईश्वर का अवतार होता है। जैसे ही कृष्ण जन्म का प्रसंग आया, श्रद्धालु आनंदित हो उठे और नंदोत्सव जैसा माहौल बन गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भगवान की लीला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संसार को अहंकार और बुराई के अंत का संदेश देती है।

ध्रुव चरित्र और भक्ति की शक्ति.....



लिए इस तरह के चैकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पूर्वी जोन पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी सदिध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

लिए इस तरह के चैकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पूर्वी जोन पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी सदिध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।



के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करते हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलती है। इस अवसर पर जयपाम नगर प्रभात के प्रधान चंद्रभाल राजपूत, राजकुमार (राजू लाल), समाजसेवी नीतू वर्मा, अनूप बाजपेई, मटरू जायसवाल, लवी वर्मा, मनीष जायसवाल, वकील हाशमी, लवकुश राजपूत सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं समर्थक उपस्थित रहे।



ने 02 झूमकियाँ अपने पास रख लीं। हर्षित ने मंगलसूत्र रास्ते में चलते व्यक्ति को बेच दिया। पुलिस अब फरार सृष्टि दुबे की तलाश कर रही है। आरोपी हर्षित यादव के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसके अपराधिक इतिहास की भी जांच की जा रही है। पुलिस आयुक्त दी। दोनों ने मिलकर चोरी की योजना बनाई। उस दिन श्याम चन्द्र के घर में कोई नहीं था। सृष्टि दुबे ने घर से सामान चुराकर हर्षित को सौंपा। हर्षित के पास 04 कंगन और 01 मंगलसूत्र आया, जबकि सृष्टि दुबे



कथा के दौरान आचार्य ने बालक ध्रुव के प्रसंग के माध्यम से भक्तों को संकल्प की शक्ति समझाई। उन्होंने बताया कि मात्र पाँच वर्ष की आयु में ध्रुव ने अपनी अडिग भक्ति से परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो इस बात का प्रमाण है कि ईश्वर केवल सच्ची निष्ठा देकर ही मिले। इसके अतिरिक्त महाशय पृथु और चतुर्सेन ऋषियों की कथाओं के माध्यम से भी धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डाला गया।

भजन-कीर्तन के साथ हुआ समापन.....

कथा के अंत में आचार्य ने श्रद्धालुओं को प्रेरित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रभु की शरण में आता है, उसके जीवन के सभी कष्ट स्वतः समाप्त हो जाते हैं। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं और युवाओं की भारी उपस्थिति रही। मधुर भजनों पर भक्त देर तक नृत्य करते रहे। आरती के पश्चात सभी उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया गया, जिसके साथ चौथे दिन की कथा का विश्राम हुआ।

नोडल शिक्षकों ने सीखा विद्यालय और कक्षा प्रबंधन का तरीका

लालगंज (रायबरेली)। ब्लॉक स्साधन केंद्र में समावेशी शिक्षा से संबंधित पांच दिवसीय नोडल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान नोडल शिक्षकों को विद्यालय और कक्षा प्रबंधन का तरीका सीखाया गया। प्रशिक्षण दो बैचों में आयोजित किया गया। इसमें करीब 100 शिक्षकों ने भाग लिया। खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार ओझा के निर्देशन में संदर्भदाता नवीन कुमार पांडेय, अर्चना वाजपेई, राजेंद्र कुमार और राजेश शुक्ला ने शिक्षकों को दिव्यांग बच्चों की पहचान, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाने के तरीके और उनकी जरूरतों को समझने की जानकारी दी। शिक्षकों को समावेशी शिक्षा की योजनाओं की जानकारी डि गई। नियमों और सरकारी प्रावधानों के बारे में बताया गया। नई शिक्षा नीति 2020, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी दी गई। प्रशिक्षण में विद्यालय और कक्षा प्रबंधन के तरीके भी समझाए गए। कार्यक्रम में सारिका, शशि सिंह, राम मिश्रा, रागिनी, रिचा सिंह, दीपमाला, अंकित सिंह, अमिता साहू, रश्मि, अश्वनी, सुशील मिश्रा, राकेश सिंह, आशीष चौहान, मोहम्मद अंसार, रमेश वर्मा, रामनेश, गौरव पाठक, अजय वर्मा, दयाशंकर और अजय प्रताप सहित कई शिक्षकों ने सहभागिता की।

लिए इस तरह के चैकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। पूर्वी जोन पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी सदिध व्यक्ति या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

खैराबाद में हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न

● समस्त विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं को प्रथम वरीयता में पूरा करना हमारा संकल्प:- अखिलेश प्रताप सिंह

स्वतंत्र प्रभात

खैराबाद सीतापुर स्थानीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में जनपद स्तरीय एक दिवसीय हमारा आंगन हमारे बच्चे उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जनपद के सभी 19 ब्लॉकों तथा नगर क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य करने वाले लगभग 100 लोगों ने प्रतिभाग किया जिसमें प्रत्येक ब्लॉक से पांच प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया जिसमें एक नोडल शिक्षक, एक नोडल संकुल शिक्षक, एक आंगन बाड़ी सुपर वाइजर, एक आंगन बाड़ी कार्यकर्ता एक ई सी सी ई एजुकेंटर यानी प्रत्येक ब्लॉक से पांच प्रतिभागियों के हिसाब से 19 ब्लॉक तथा एक नगर क्षेत्र से कुल एक सौ प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें खैराबाद ब्लॉक से नोडल शिक्षक के रूप में रितम मिश्रा प्राथमिक विद्यालय सरैया चौकी नोडल शिक्षक तथा नोडल संकुल शिक्षक के लिए काजिम हुसैन, ई सी सी एजुकेंटर यानी प्रत्येक ब्लॉक से पांच प्रतिभागियों के हिसाब से 19 ब्लॉक तथा एक नगर क्षेत्र से कुल एक सौ प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। जिसमें खैराबाद ब्लॉक से नोडल शिक्षक के रूप में रितम मिश्रा प्राथमिक विद्यालय सरैया चौकी नोडल शिक्षक तथा नोडल संकुल शिक्षक के लिए काजिम हुसैन,

उचित दर दुकानों पर होगा केरोसीन तेल का अस्थायी आवंटन

भू- राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार का त्वरित कदम: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल का अस्थायी आवंटन

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में मंडाते खतरों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल का अस्थायी आवंटन घोषित किया है। यह टीएम की सारहनाही की है और आमजन से थोड़ी की है कि वे अपनी सुरक्षा और संपत्ति की सुरक्षा के लिए सतर्क रहें। मामले की आगे की जांच जारी है।

कि विश्व स्तर पर चल रही भू-राजनीतिक स्थिति ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। मंत्रालय ने इन उभरते खतरों को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल का अस्थायी आवंटन प्रदर्शनों को अनुबंध के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है। यह पत्र पेट्रोलियम योजना एवं विश्वलेण प्रकोष्ठ के महानिदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव (सभी राज्यों को) तथा तेल विपणन कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों को संबोधित है।

संकट का संदेह: हॉमज

जलडमरूमध्य पर तनाव और भारत की ऊर्जा सुरक्षा वर्तमान में पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल-ईरान संघर्ष के कारण हॉमज जलडमरूमध्य से तेल, बलतिषी और प्राकृतिक गैस को आपूर्ति बाधित हो रही है। यह मार्ग वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत और भारत के आयात का प्रमुख हिस्सा संभालता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत ने आपातकालीन

सराय एसर गांव में योग व प्रौढ़ शिक्षा जागरूकता अभियान



स्वतंत्र प्रभात

इटवा- कर्म क्षेत्र पी.जी. कॉलेज, इटवा की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई आयोजित सप्त-दिवसीय विशेष शिविर के छठे दिन गाँव सराय एसर में प्रौढ़ शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेविकाओं को प्राकृतिक शिक्षा एवं योग की विस्तृत जानकारी दी गई तथा उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गाँव के पंचायत घर में हुआ, जहाँ स्वयंसेवकों ने सर्वप्रथम साफ-सफाई अभियान चलाया। इसके बाद राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत का सामूहिक गायन किया गया। तत्पश्चात स्वयंसेवक व स्वयंसेविकाओं ने गाँव में घर-घर जाकर प्रौढ़ शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।

मुख्य अतिथि डॉ. सिद्धार्थ ने योग के इतिहास, अष्टांगिक मार्ग तथा विभिन्न योगासनो का परिचय कराते हुए कहा, 'योग

के माध्यम से हम न केवल अपने शरीर व मन को स्वस्थ रख सकते हैं, बल्कि एक स्वस्थ समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। कार्यक्रम अधिकारी डॉ. अजीत कुमार दीक्षित ने जीवन में प्राकृतिक शिक्षा एवं योग के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न साधनों की जानकारी भी दी। स्वयंसेवकों ने योग से संबंधित अनेक जिज्ञासु प्रश्न पूछे, जिनका डॉ. सिद्धार्थ व डॉ. अजीत कुमार दीक्षित ने संतोषजनक समाधान किया।

शिविर में सभी स्वयंसेवकों एवं स्वयंसेविकाओं ने सामूहिक भोजन ग्रहण किया। दिनभर सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता के साथ-साथ आामी सेवा योजना के लक्ष्य गीत का सामूहिक गायन किया गया। तत्पश्चात स्वयंसेवक व स्वयंसेविकाओं ने गाँव में घर-घर जाकर प्रौढ़ शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों ने भी बढ़-चढ़कर भाग लिया।

मुख्य अतिथि डॉ. सिद्धार्थ ने योग के इतिहास, अष्टांगिक मार्ग तथा विभिन्न योगासनो का परिचय कराते हुए कहा, 'योग

आंगनबाड़ी सुपरवाइजर समीक्षा मिश्रा , आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोनिका तथा ई सी सी ई एजुकेंटर प्राथमिक विद्यालय सरैया सानी की अदिति मिश्रा ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से आयु कुमार दीक्षित जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा,एस आर जी आलोक श्रीवास्तव,करुणेश मिश्र, ई सी सी ई एजुकेंटर नोडल एस आर जी मदनेश मिश्र, डायट प्रवक्ता अमित कुमार ने संबोधित किया तथा सभी की समस्याओं को सुना और उनका निराकरण भी किया गया। इस अवसर पर सभी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रशस्ति प्रमाण पत्र, मोमेंटो तथा जिला अधिकारी महोदय के निर्देशाुसर एक सिंगल ब्रेड की दरी सभी को उपहार में दी गई। उक्त कार्यक्रम में बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अधिकारी कर्मचारी सी डी पी ओ के अलावा अन्य लोग भी मौजूद थे। मुख्य अतिथि के रूप में पधार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग बहुत मेहनत से कार्य करते हैं तो आपको सम्मान मिलना अनिवार्य था वैसे आप शिक्षक हैं और आप स्वयं में ही सम्मानित हैं लेकिन उत्साह वर्धन के लिए यह आवश्यक है। श्री सिंह ने कहा कि विद्यालयों की समस्याओं को प्रथम वरीयता में हल करना



हमारा संकल्प है, इसके बाद उत्साहित होकर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ने शिक्षकों के साथ खुब बातों की उनकी समस्याओं को सुना तथा फोटो शुष्ण भी शिक्षकों ने करवाई। अंत में जिला समन्वयक प्रशिक्षण समग्र शिक्षा आर्य कुमार दीक्षित ने सभी का आभार व्यक्त किया। जबकि ब्लॉक खैराबाद के नोडल ए आर पी संजीव पटेलिया को भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मोमेंटो तथा उपहार देकर सम्मानित किया।इसी अवसर पर जूनियर हाईस्कूल प्रभु माध्यमिक शिक्षक संघ खैराबाद ब्लॉक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजिम हुसैन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अलविदा के अवकाश को करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रोटोकॉल लागू किए हैं, रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। इस संकट में एलपीजी की कमी से लाखों घरेलू उपभोक्ता प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल का अस्थायी आवंटन वैकल्पिक इंधन के रूप में राहत प्रदान करना, खासकर उन राज्यों में जहां अभी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन तेल का वितरण जारी है। ध्यान दें कि 21 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश पहले ही केरोसीन तेल-मुक्त हो चुके हैं और नई नीति के तहत आवंटन केवल उच्चतम उपयोग मात्रा के आधार पर किया जा रहा है। केरल जैसे राज्य में इस वर्ष आवंटन में 319 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

आवंटन की शर्तें और दिशा-निर्देश मंत्रालय ने आवंटन को चार प्रमुख शर्तों के अधीन रखा है:

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल को उचित मूल्य दुकान और प्रकाश व्यवस्था के लिए होगा। पत्र में कहा गया है, 'वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो विश्व स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित कर रही है, इन उभरते खतरों को कम करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल का अस्थायी आवंटन प्रदर्शनों को अनुबंध के अनुसार करने का निर्णय लिया गया है। यह पत्र पेट्रोलियम योजना एवं विश्वलेण प्रकोष्ठ के महानिदेशक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के सचिव (सभी राज्यों को) तथा तेल विपणन कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयकों को संबोधित है।
- वितरण का पैमाना और मानदंड राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश तय करेंगे।
- राज्य सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि आवंटित श्रेष्ठ केरोसीन तेल पेट्रोल या डीजल में मिलावट या अन्य अनपेक्षित उपयोग के लिए न डायवर्ट किया जाए।
- ग्रामीण घरों को श्रेष्ठ केरोसीन तेल आवंटन में प्राथमिकता दी जाए। राज्यों को आवंटन की पूरी मात्रा 45 दिनों के भीतर उठानी होगी। कोई भी अत्युत्पी मात्रा अगले वर्ष ले जाने की अनुमति नहीं होगी। कीमत निर्धारण में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल का महत्व और पुष्टभूमि

श्रेष्ठ केरोसीन तेल सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गरीब और ग्रामीण परिवारों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराया



जाता है। यह मुख्यतः रसोई और लैंप के लिए उपयोग होता है। केंद्र सरकार ने प्रदूषणकारी प्रभाव को देखते हुए आवंटन को कंट्रोल बनाया है, लेकिन केरोसीन के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना के तहत कई राज्यों ने स्वेच्छा से आवंटन छोड़ दिया। नई नीति के तहत अब अलग-अलग श्रेणियां नहीं हैं। एक ही श्रेष्ठ केरोसीन तेल श्रेणी में आवंटन होता है। पिछले वर्षों में कुल केरोसीन तेल खपत में गिरावट आई है, लेकिन मूल्य क्षेत्रों में यह अभी भी महत्वपूर्ण है। सरकार स्वच्छ इंधन की ओर बढ़ रही है, लेकिन संकट के समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रेष्ठ केरोसीन तेल बैंकअप के रूप में काम आएगा।

प्रभाव और राज्य स्तर की तैयारियां यह आवंटन उन राज्यों के लिए विशेष राहत होगा जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसीन तेल अभी भी सक्रिय है। राज्य सरकारें अब वितरण की रूपरेखा तय करेंगी और ग्रामीण घरों को प्राथमिकता देंगे। मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियों के समन्वय से सुनिश्चित किया है कि आपूर्ति निर्बाध रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और विविध आयात स्रोतों के बावजूद हॉमज जलडमरूमध्य संकट ने तत्काल उपायों की जरूरत पैदा की है। कोई मूल्य वृद्धि न

